कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com

PWD

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / 551 दिनांक 26 / 3 / 2015

विषयः निरीक्षण नोट ।

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 24.03.2015 को CBRI, Third Party Quality Control (TPQC) Team In-charge डा. देवलिया, कार्यपालक अभियंता एम–423 सहायक अभियंता श्री आर. के. गुप्ता के साथ निम्न कार्य का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :–

C/o Sr. Sec. School building at Madanpur Khadar Phase-III Civil & Electrical composite work.
Agreement No. 37/EE/M-423/2014-15
Agency : M/s Rama Contractor.

1 कार्यस्थल पर अभी भी करार की शर्तों के अनुसार भवन सामग्री की जांच के लिए पूर्ण equipments उपलब्ध नहीं है ।

2 कार्य करने का कोई विस्तृत प्रोग्राम कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं था, न ही Quality Assurance Programme कार्यस्थल पर पाया गया ।

3 करार की शर्तों के अनुसार सुरक्षा संहित भी लागू नहीं की जा रही है । लगभग सभी कार्य प्लेटफार्म पर जाने के लिए सुरक्षा साधनों का प्रबन्ध नहीं किया गया है जिससे कोई भी दूर्घटना होने की संभावना है ।

4 कार्यस्थल पर लगाये गए कर्मकारों के संरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है । कार्यस्थल पर कई स्थानों पर छोटे–छोटे बच्चे घूमते और आराम करते पाये गए जो कभी–भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं ।

5 कॉलम तथा बीम के जंक्शन पर Confinement stirrups नहीं डाला गया है जिसके लिए पहले भी बताया गया था । बीम तथा कॉलम में सरिये के बांधे गये रिंग के हुक भी नक्शे के अनुसार नहीं है ।

6 बीम के सरिये पर कवर–ब्लॉक कम मात्रा में लगाने के कारण कवर नियमित नहीं है ।

7 कॉलम के सभी सरिये छत लेवल पर बीम में नहीं मोडे गए हैं ।

8 आर.सी.सी. स्लैब का कंस्ट्रक्शन जोड बीम के उपर छोडे गए है वह बीम से परे होने चाहिए और भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाये ।

9 कार्यस्थल पर उपलबध क्वालिटी मैनेजर का व्यवहार सहीं नहीं है, वह हर बात पर बिना आधार के तर्क–वितर्क करता है और कार्यस्थल पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है ।

10 कार्यस्थल पर प्रयोग किये जाने वाले आर.एम.सी. की सामग्री की जांच टेस्ट जोकि प्लांट साईट पर किये जा रहे है उनका विवरण भी रखा जाये ।

11 कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता यह सुनिश्चित करें कि कार्य सुरक्षा संहिता तथा कर्मकारों के स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था और संरक्षण का नियमानुसार पालन किया जाये । भवन में प्रयोग किये जाने वाले सरिये, कवर–ब्लॉक, रिंग के हुक इत्यादि नक्शें के अनुसार हो तथा आर.सी.सी. सतह पर कॉस्टिंग की तारीख दर्शायी जाये । कार्यस्थल पर कार्य करने का विस्तृत प्रोग्राम अप–टू–डेट प्रोग्रेस के साथ डिस्पले किया जाये और इसी प्रकार सभी नक्शे भी डिस्पले किये जाये । Quality Assurance Programme तथा भवन सामग्री के नमूनों की जांच का पूरा विवरण कार्यस्थल पर रखा जाये । साथ में वैद्युत कार्यों के लिए एसोसिएट एजेंन्सी का विवरण तथा वैद्युत कार्यों के नक्शें कार्यस्थल पर रखे जायें ।

12 कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि कार्य का निरीक्षण CBRI, Third Party Quality Control (TPQC) In-charge से समय–समय पर करवाये । कोई भी मेजर आर.सी.सी. कॉस्टिंग से पहले TPQC In-charge को सूचित किया जाय और उनसे जांच के बाद निर्देशानुसार कार्य किया जाये । भवन सामग्री जांच की सभी रिपोर्ट की प्रति TPQC को सौपें और उन पर उनसे लिखित प्रतिकिया प्राप्त कर रिकार्ड में रखें ।

कार्य की प्रगति, किए गए कार्यों के फोटोग्राफ तथा ठेकेदार को भुगतान किए गए बिलों का माप विवरण व भुगतान विवरण समय–समय पर पी.डब्ल्यू.डी. वेब–साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये ।

26/3/2015

ह/० अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम–4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन. नई दिल्ली ।

2 कार्यपालक अभियंता एम–423, सुखदेव विहार, नई दिल्ली ।

ह/० अधीक्षण अभियंता